

राजेरा
Rajera
महाराज

7¹²/₁₇ वादी के प्रायोजक पर प्रामाणी प्रेशा (वादी) ने प्रायोजक पर प्रेशा कर निवेदन किया कि वह अपने वाद को आगे नहीं चलाया जाएगा। किन्तु करण-चाहता ही प्रायोजक को स्वीकार किया उपकरण आदि प्रामाणी किया गया। वादी के वाद को आगे नहीं चलाया जाएगा इसलिये वादी का वाद खारिज किया जाता है प्रामाणी प्रेशा कर निवेदन बरकरार ले कर हो रहा वह प्रामाणी प्रेशा कर निवेदन बरकरार रहे (वादी को प्रेशा कर निवेदन खारिज नहीं किया)।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (भलवर)